न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/19 **निर्णय दिनांकः 16–05–2019**

1. कादिरबक्स पुत्र हाजी मुराद जाति मुसलमान निवासी रसूलसर हाल चक 8 बीएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24–11–2001
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24–11–2001 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने विशेष आवंटन हेतु तहसील पूगल के चक 13 पीबी के मुरब्बा नम्बर 109/59 के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था तथा आवेदन पत्र के साथ तमाम आवश्यक सबूत व धरोहर राशि 500/– भी जमा करवा दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना नोटिस व

सूचना के खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 13 पीबी के मुरब्बा नम्बर 109/59 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा मोहरबन्द गजट में प्रकाशित होने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—11—2001 के विरूद्व अपील दिनांक 15—04—19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवेदित रकबा मोहरबन्द गजट में प्रकाशित होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—11—2001 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 15—04—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर आवंटन प्रकिया व आदेश जारी करने, कब्जा देने, किश्तों का निर्धारण तथा भूमि के उपयोग की सालाना रिपोर्ट का रिकार्ड पारदर्शी तरीके से संधारित नहीं करने तथा आवेदकों को निर्णय की सूचना देने की समुचित व पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के निरक्षर काश्तकार के लिये संभव नहीं है कि व समय पर अपील पेश करें। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

आवंटन अधिकारी की पत्रावली के अनुसार आवेदक द्वारा चक 13 पीबी के मुरब्बा नम्बर 109/59 की भूमि आवंटन के लिये आवेदन पत्र पेश किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी के आदेश होने पर दिनांक 12—10—2000 को 500/—रूपये प्रतिभूति राशि जमा कर ली गई। तत्पश्चात् एक साल बाद भूमि मोहरबन्द प्रक्रिया में प्रकाशित होने

के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया तथा सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के आदेश दिये गये। पत्रावली में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त निर्णय की सूचना आवेदक को दी गई हो। आवेदन प्राप्त करने से निरस्त करने के बीच की एक वर्ष की अवधि में भूमि की श्रेणी, आवंटन का प्रकार, गजट सूचना कब्जा आदि के बारें में कोई रिपोर्ट नहीं ली गई तथा आकस्मिक रूप से मोहरबन्द में शामिल होने का उल्लेख करते हुए निर्णय कर दिया गया। आवंटन अधिकारी का अपीलाधीन आदेश मनमाना तथा विधिक प्रक्रिया के विरूद्व होन के कारण निरस्त किया जाता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—11—2001 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट के आवेदन पर विचार करते हुए आवेदित रकबाराज भूमि का विधि सम्मत निस्तारण करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर